न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित आनन्दी आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **44 / 2015** अपील (राजस्व)

1. श्री लिम्बाराम पिता माना भील निवासी नीमच खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री उदयलाल पिता माना भील निवासी नीमच खेड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्टगण**

बनाम

1. श्री अम्बालाल पिता जेता भील निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री लोगर पिता जेता भील निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री भगवान पिता वाला भी निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री भेरा पिता वाला भील निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती जेवन्ती पुत्री रामा भील पत्नि श्री केसुलाल भील निवासी बड़ी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री खेमा पिता नानका भील निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री सोहन पिता स्व. श्री लालु भील निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्री तलोगो पिता स्व. श्री लालु भील निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री देवीलाल पिता स्व. श्री लालु भील निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती दलु बाई विधवा नानका भील निवासी नीमच खेड़ा, देवाली, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील बनाराजगी निर्णय तहसीलदारगिर्वा बनामान्तरकरण संख्या 333 निर्णय दिनांक10.01.1972

उपस्थित : श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, अधिवक्ता अपीलान्टगण

निर्णय

दिनांकः— 27.05.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा मौजा देवाली के नामान्तरकरण संख्या 333 दिनांक 10.01.72 अध्यासित तहसीलदार गिर्वा के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा देवाली की साबिक आराजी संख्या 463 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा माना पिता लाल भील निवासी नीमच खेड़ा देवाली की खातेदारी की थी। जिन्हे जीतेजी मृतक बताकर रेस्पोडेंटगणो के वारीसान जेता वाला नानका पिता माना भील निवासी नीमचखेड़ा के नाम पर फर्जी तौर पर खोल दिया गया जिसका ज्ञान माना पिता लाला व उनके जीवनकाल तक नहीं था। वह एक अशिक्षित सीधे सादे भोले किसान थे। उनका स्वर्गवास दिनांक 25.04.05 को हुआ। उनके वारीस में अपीलान्ट लिम्बाराम व उदयलाल पुत्र थे। नामान्तरकरण दिनांक 30.12.71 को खोला गया जबकि इनकी मृत्यु 25.04.05 को हुई यानिकी नामान्तरकरण खोले जाने की दिनांक को माना पिता लाला जीवित थे।

इसी गॉव में माना पिता काना जी नाम के अन्य व्यक्ति थे जिनका स्वर्गवास सन् 1970 में हो गया था जिनके वारीसान रेस्पोडेंटगण के पुर्वाधिकारी होकर वर्तमान में वे सभी इनकी सन्ताने हैं। दोनो के एक ही नाम होने से माना पिता काना जी की मृत्यु पर उनके वारीस के नाम पर माना पिता लाल जी की उक्त भूमि अपीलीय नामान्तरकरण से माना पिता काना के विधिक प्रतिनिधि के नाम पर गलत खोल दिया गया। यानिकी माना पिता लाला जो कि जीवित थे उनको मृतक बताकर उनके जीतेजी उनकी जमीन का भी भूल से पटवारी हल्का ने माना पिता काना के लड़के जेता वाला नानका के नाम का खोल दिया। तहसीलदार द्वारा भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर वारीसानो की बिना जॉच किये ही नामान्तरकरण प्रमाणित कर दिया गया। इस प्रकार पटवारी द्वारा फर्जीवाड़ा कर नामान्तरकरण खोला जिसकी जानकारी माना पिता लाला को दिनांक 25.04.05 तक नहीं हुआ। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार संबंधित पक्षकार को सुनकर निर्णय

किया जाना चाहिये था। किन्तु इस प्रकरण में बिना अपीलान्टगण के पिता को सुचना दिये बिना सुने जल्दबाजी में निर्णय पारीत कर भारी विधिक चूक फरमायी हैं। हाल ही में अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने कुछ बदमाश आये व कहा कि अपीलान्ट उक्त भूमि को छोड़ दे तो अपीलान्ट ने कहा की वह हमारे बापदादाओ की भूमि हैं। ना तो मेरे पिता जी ने और ना ही परिवार के किसी व्यक्ति ने विक्रय की है ना हस्तान्तरित की हैं। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण प्रथम दृष्ट्या फर्जी व गलत हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारीत नामान्तरकरण खारीज फरमाया जावें।

अपनी अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 21.07.14 को पटवारी हल्का से हुआ जिसकी नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई है। यद्यपि फर्जी या झुठे आधारो पर खोले गये नामान्तरकरण की कोई अपील किये जाने की कोई मियाद हो ही नहीं सकती हैं। ऐसी स्थिति में न्याय हेतु उक्त अपील को अन्दर मियाद लिवाय जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस तलब किया गया। बावजुद नोटिस विपक्षीगण अनुपस्थित रहे हैं। तामिलन नोटिस संलग्न पत्रावली है। बावजुद नोटिस तामिल के रेस्पोडेंटगणो के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 14.05.19 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा देवाली में स्थित आराजी संख्या 463 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा के मुल खातेदार माना पिता लाला जी थे जो कि रेस्पोडेंटगणो के पिता होकर जिनका दिनांक 25.04.05 को स्वर्गवास हो चुका हैं। परन्तु इसी ग्राम में एक माना पिता काना नाम के भी अन्य व्यक्ति थे जिनका स्वर्गवास सन् 1970 में हो गया था। तत्कालीन पटवारी द्वारा माना पिता काना के खाते की भूमि

उनके विधिक वारीसानो के नाम दर्ज करने का जो नामान्तरकरण खोला गया था। उसमें गलती से माना पिता काना की भूमि का नहीं खोलकर जीवित माना पिता लाला की भूमि का खोलकर माना पिता काना के विधिक वारीसानो के नाम पर अपीलीय नामान्तरकरण से यह वादग्रस्त भूमि दर्ज कर दी गई। जिसका ज्ञान जितेजी माना पिता लाला को कभी नहीं रहा। वे एक अशिक्षित सीधे सादे भोले किसान थे। हाल ही में अपीलान्ट को मौके से बेदखल करने हेतु कुछ बदमाश आये व कहा कि अपीलान्ट उक्त भूमि को छोड़ दे तो अपीलान्टगण ने कहा कि यह हमारे बापदादाओ की भूमि है ना तो मेरे पिता जी ने और ना परिवार के किसी व्यक्ति ने विक्रय की है नाही हस्तान्तरित की हैं। यह बात होने पर पटवारी हल्का से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इस भूमि का नामान्तरकरण होकर जेता वाला नानका पिता माना भील के नाम दर्ज हैं। जिसकी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये तीनो स्वर्गीय माना पिता काना जी के पुत्र थे जिनका भी वर्तमान में इन्तकाल हो चुका हैं। वर्तमान में रेस्पोडेंटगण सभी इनके विधिक वारीसान हैं। तत्कालीन पटवारी द्वारा गलती से यह नामान्तरकरण खोला गया हैं। फर्जी एवं झूठे आधारो पर नामान्तरकरण को किसी भी स्तर पर खारीज किया जा सकता हैं। नामान्तरकरण दिनांक 10.01.72 को खोला गया है जबकि मुल खातेदार माना पिता लाला का इन्तकाल दिनांक 25.04.05 को हुआ। अपनी अपील के ताईद में न्यायालय सिविल न्यायाधीश शहर दक्षिण उदयपुर के प्रकरण संख्या 478/17 ई.दी. सीआईएस नम्बर 4844/2015 निर्णय दिनांक 23.05.18 एवं न्यायालय अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश क्रम संख्या 3 उदयपुर प्रकरण संख्या 37/2017 ई.दी. सीआईएस नम्बर 22/15 निर्णय दिनांक 17.07.18 की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गई है जो शामिल पत्रावली हैं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का विस्तृत अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि ऐसे आदेश को कभी भी चुनौती दी जा

सकती हैं। जिसमें पक्षकारानो को बिना सुने ही उनकी अनुपस्थिति में नामान्तरकरण पारीत कर दिया गया हो। अतः अपीलार्थी को धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना न्यायोचित हैं।

हस्तगत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से प्रथम दृष्ट्या यह स्वतः ही साबित होता है कि अपीलार्थी के पिता माना पिता लाला का स्वर्गवास 25.04.05 को हो गया था। जबकि अपीलीय नामान्तरकरण में उनकी मृत्यु 1972 में होना बताया जाकर उनकी भूमि का विरासत का नामान्तरकरण खोल दिया गया। नगर परिषद उदयपुर द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में उनकी मृत्यु 25.04.05 अंकित हैं। यानिकी अपीलीय नामान्तरकरण को प्रमाणित किये जाने की दिनांक को वे जीवित थे। यदि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे तलब करके सुना जाता तो यह नामान्तरकरण जो गलत विरासत के आधार पर खोला गया हैं। उसकी कार्यवाही नहीं होती। जबकि वास्तविकता यह है कि इसी गॉव में इन्ही के नाम का एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम माना पिता काना था जिसकी मृत्यु सन् 1970 में हो गयी थी उनके वारीसानो के नाम अपीलीय नामान्तरकरण गलती से खोल दिया गया। इस संबंध में अपीलान्टगणो द्वारा सिविल न्यायालय में भी कार्यवाही की गई। जहॉ से भी अपीलान्टगणो के पक्ष में आदेश जारी हुए हैं। मात्र एक ही नाम के एक ही गॉव में दो व्यक्ति एक ही वल्दियत के होने से गलत विरासत के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण खारीज योग्य हैं। क्योंकि मृत व्यक्ति के वारीसो के नाम जीवित व्यक्ति की भूमि का नामान्तरकरण खोल दिया गया हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा द्वारा मौजा देवाली के नामान्तरकरण 333 निर्णय दिनांक 10.01.72 को खारीज किया जाकर तहसीलदार बड़गॉव को यह आदेशित किया जाता है कि वह नये सीरे से माना पिता लाला भील निवासी देवाली जिनका स्वर्गवास दिनांक 25.04.05 को हो गया हैं। उनके स्वर्गवास होने से अपीलीय नामान्तरकरण में दर्ज भूमि

आराजी संख्या 463 रकबा 1 बिघा 15 बिस्वा भूमि के हाल आराजीयातो का उनके विविध वारीसानो की जॉच कर उनके नाम पर नये सीरे से नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा एवं तहसीलदार बड़गॉव को वास्ते आवश्यक कार्यवाही एवं पालना हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
उदयपुर